

प्रेस नोट दिनांक 19.07.2025

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

➡प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

➡अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सी0एच0सी0 जोगापुर के पीछे रेलवे पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में 30नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 प्रदीप यादव, का0 कणाद मुनि द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान दिनांक 19.07.2025 को 02 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त इजहार अली पुत्र नवाब अली नि0 ग्राम मौहार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सी0एच0सी0 जोगापुर के पीछे रेलवे पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 02 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 326/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. इजहार अली पुत्र नवाब अली नि0 ग्राम मौहार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

02 अदद देशी नाजायज बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

30नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 प्रदीप यादव, का0 कणाद मुनि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

अवैध रूप से खेत में करंट प्रवाहित कर किशोर की हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में करंट से किशोर की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त को फायर स्टेशन लालगंज के सामने सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.06.2025 को वादी का नाती उम्र लगभग 16 वर्ष, निवासी ग्राम बरेन्द्र, पूरे देवीदास का पुरवा, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, किसी कार्यवश गांव के समीप रोड के पास अशोक तिवारी के खेत के निकट गया था। उक्त खेत में अशोक तिवारी तथा अतुल तिवारी द्वारा अवैध रूप से चारों ओर लोहे के तार में विद्युत करंट प्रवाहित किया गया था, जिससे अमित कोरी की मौके पर ही करंट लगने से मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर मु0अ0सं0 114/2025 धारा 105 बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 सुमित सिंह, का0 अमित कुमार व का0 संदीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त विवेचनात्मक कार्यवाही एवं चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2025 धारा 105 बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अतुल त्रिपाठी पुत्र अशोक त्रिपाठी निवासी ग्राम देवीदास का पुरवा बरेन्द्र थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को फायर स्टेशन लालगंज के सामने सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अतुल त्रिपाठी पुत्र अशोक त्रिपाठी निवासी ग्राम देवीदास का पुरवा बरेन्द्र थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 सुमित सिंह, का0 अमित कुमार व का0 संदीप कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ0नि0 देवीदीन बुन्देला मय का0 रामलखन व का0 संदीप पटेल के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान एसटी नं. 4199/04 अ0स0201/90 धारा 547/380 / 411 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित एक नफर वारण्टी ओंकार उर्फ माहिल पुत्र गंगा चमार निवासी अल्लोपुर बुखारी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. ओंकार उर्फ माहिल पुत्र गंगा चमार निवासी अल्लोपुर बुखारी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 देवीदीन बुन्देला मय का0 रामलखन व का0 संदीप पटेल थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना अन्तू पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गाली गलौज, धमकी, एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना अन्तू पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में 30नि0 जय किशन मय हमराह का० अवधेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग व मुखबिर की सूचना के दौरान थाना अन्तू में पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत धारा 69,352,351 (2) बीएनएस व 3(1) (ब), 3 (1)द, 3 (1)ध, 3(2) (v), 3 (2)(va) sc/st act से संबंधित 01 अभियुक्त सचिन वर्मा पुत्र मोती लाल वर्मा निवासी रामनगर भोजपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र पट्टी के जगदीशपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सचिन वर्मा पुत्र मोती लाल वर्मा निवासी रामनगर भोजपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

30नि0 जय किशन मय हमराह का० अवधेश यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

पैसे डबल करने के नाम पर लाखों की ठगी, असलहे के बल पर रंगदारी व धमकी देने के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में पैसे डबल करने के नाम पर ठगी, रंगदारी व धमकी देने वाले गैंग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पट्टी की ओर लालगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

नकली नोट डबल करने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी, असलहे के बल पर रंगदारी व धमकी देने वाले संगठित गिरोह के विरुद्ध मु०अ०सं०-116/2025 धारा 308(5)/309(4)/318(4)/352/351(2) बीएनएस थाना पट्टी प्रतापगढ़ बनाम 07 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों ने पहले नकली नोट देकर विश्वास में लेकर तीन लाख रुपये ठगे और बाद में विभिन्न स्थानों पर बुलाकर पीड़ित से नगद धनराशि छीन ली तथा पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री पंकज राय के नेतृत्व में थाना पट्टी के 30नि० अनिश कुमार यादव मय हमराह का० सोनू यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त विवेचनात्मक कार्यवाही एवं चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 116/2025 धारा 308(5)/309(4)/318(4)/352/351(2) बीएनएस थाना पट्टी प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त कुलदीप पुत्र रामस्नेही निवासी ग्राम बाभनपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 30 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पट्टी की ओर लालगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. कुलदीप पुत्र रामस्नेही निवासी ग्राम बाभनपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 30 वर्ष ।

पुलिस टीम-

30नि० अनिश कुमार यादव मय हमराह का० सोनू यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो एक्ट व धमकी के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री पंकज राय के नेतृत्व में थाना पट्टी के 30नि० रोहित यादव मय हमराह का विश्वेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87/64(1)/351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, दीप धुरिया पुत्र जोखूराम धुरिया नि० औराइन थाना पट्टी प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. दीप धुरिया पुत्र जोखूराम धुरिया नि० औराइन थाना पट्टी प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

30नि० रोहित यादव मय हमराह का विश्वेन्द्र प्रताप सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह हे०का० अमरनाथ यादव के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान केस न० 1421/04, मु०अ०स० 50/98 धारा 323/504/506 थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ से संबंधित एक नफर वारण्टी 1. धनीराम पुत्र ननकूराम नि० ग्राम ठठेरीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीव 45 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धनीराम पुत्र ननकूराम नि० ग्राम ठठेरीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीव 45 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ०नि० शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह हे०का० अमरनाथ यादव थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

- ➡ गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 शातिर अपराधी गिरफ्तार – सतर्क पुलिस टीम को मिलेगा इनाम व प्रशस्ति-पत्र
- ➡ थाना रानीगंज के उ०नि० गिरजा प्रसाद सिंह व बीट आरक्षी मुकेश व बीट आरक्षी अरूण ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
- ➡ उ०नि० गिरजा प्रसाद सिंह व बीट आरक्षी मुकेश व बीट आरक्षी अरूण ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
- ➡ एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना रानीगंज के उ०नि० गिरजा प्रसाद सिंह व बीट आरक्षी मुकेश व बीट आरक्षी अरूण को दिया जाएगा इनाम व प्रशस्ति-पत्र
- ➡ थाना रानीगंज पुलिस द्वारा जनपद वाराणसी के 15 लच्छीपुरा कालोनी नदेशर कैण्ट वाराणसी से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- ➡ गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में गोवध अधिनियम व गैंगस्टर अधिनियम जैसे संगीन अपराध है दर्ज

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० गिरजा प्रसाद सिंह व बीट आरक्षी मुकेश व बीट आरक्षी अरूण के सहयोग से थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं०- 144/2025 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ में

वांछित 01 मो० सिराज पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी 15 लच्छीपुरा कालोनी नटेशर कैण्ट वाराणसी को आज दिनांक 19.07.2025 को जनपद वाराणसी के 15 लच्छीपुरा कालोनी नटेशर कैण्ट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त मो० सिराज पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी 15 लच्छीपुरा कालोनी नटेशर कैण्ट वाराणसी का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 81/23 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु०अ०सं० 144/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।